संख्या–वे0आ0–2–468 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2013

विषय– वेतन समिति (2008) के तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–2) के माध्यम से दी गयी स्थानीय निकायों की पदवार विस्तृत संस्तुतियों / सुझाव पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–2) के माध्यम से दी गयी स्थानीय निकायों की पदवार विस्तृत संस्तुतियों / सुझाव को राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए अगले प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) जिला पंचायतों के अन्तर्गत विद्यमान सामान्य कोटि के पदों यथा–चतुर्थ श्रेणी के पद (अनुसेवक / चपरासी), लिपिकीय संवर्ग, अवर अभियन्ता, लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग, ई0डी0पी0 संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, वाहन चालक संवर्ग आदि संवर्गों के विषय में समिति द्वारा अलग से संस्तुतियॉ दी गयीं हैं। इन पदों पर उक्त संस्तुतियों के विषय में लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान अनुमन्य होंगे।

(2) कार्य अधिकारी के पद के पोषक पदों में सम्मिलित लेखाकार को पोषक पद से हटा दिया जाय।

(3) जिला पंचायतों के राजस्व सेवा संवर्ग के पदों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाय :––

(i) विकास खण्ड स्तर पर विद्यमान कर एवं राजस्व समाहर्ता के पद का पदनाम सहायक राजस्व निरीक्षक तथा पद पर भर्ती हेतु इण्टरमीडिएट की अर्हता रखी जाय। सीधी भर्ती के माध्यम से जो कार्मिक चयनित होकर आयें उन्हें सर्वप्रथम वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 / – में नियुक्त किया जाय। तदोपरान्त जब उपरोक्तानुसार नियुक्त कार्मिक किसी प्रतिष्ठित संस्था से कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे तब उन्हें वेतन

बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– अनुमन्य कराया जाय। कर एवं राजस्व समाहर्ता (परिवर्तित पदनाम सहायक राजस्व निरीक्षक) के पद पर जो कार्मिक सम्प्रति कार्यरत हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– अनुमन्य कराया जाय।

(ii) तहसील स्तर पर विद्यमान कर/राजस्व निरीक्षक को राजस्व निरीक्षक पदनामित किया जाय तथा 50 प्रतिशत पदों को कामर्स के साथ इण्टरमीडिएट की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक राजस्व निरीक्षक (पूर्व पदनाम कर एवं राजस्व समाहर्ता) के पदधारकों से पदोन्नत कर भरे जाने का प्रावधान किया जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/– अनुमन्य कराया जाय।

(iii) जिला पंचायत स्तर पर विद्यमान कर अधिकारी के पद को कर निर्धारण अधिकारी पदनामित करते हुए पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 4200/– यथावत् बनाये रखा जाये। साथ ही 50 प्रतिशत पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था बनाये रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि की अर्हता निर्धारित की जाय। साथ ही 50 प्रतिशत पदों पर 05 वर्ष की सेवा वाले राजस्व निरीक्षक तथा प्रशासनिक अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(iv) उपर्युक्त पुनर्गठन एवं संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन सम्बन्धित जिला पंचायतों द्वारा वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(v) उपरोक्तानुसार भर्ती हेतु न्यूनतम् अर्हता, भर्ती की प्रकिया आदि का समावेश करते हुए संशोधित नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यापित करायी जाय।

(vi) उपरोक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला पंचायतों में राजस्व संवर्ग के पदों का ढ़ॉचा निम्नानुसार निर्धारित हो जायेगा :—

क0 सं0	पद का नाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	भर्ती का स्रोत	भर्ती हेतु अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कर	वेतन बैण्ड–2	50 प्रतिशत पदों को लोक सेवा	कामर्स

	निर्धारण अधिकारी	रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले राजस्व निरीक्षक तथा प्रशासनिक अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा	अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि
2.	राजस्व निरीक्षक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	50 प्रतिशत पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक राजस्व निरीक्षक के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा	कामर्स के साथ इण्टरमीडिएट
3.	सहायक राजस्व निरीक्षक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000	विभागीय चयन समिति के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	कामर्स के साथ इण्टरमीडिएट

उपर्युक्तानुसार संशोधित ढ़ाँचे में उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(4) जिला पंचायतों के अन्य पदों पर अनुमन्य वेतनमानों में कोई विसंगति समिति के संज्ञान में नहीं लायी गयी है। अतः इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

(5) प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्न व्यवस्था करने हेतु आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से निर्णय लिया जाय :—

(i) विकास खण्ड स्तर के सहायक राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर के राजस्व निरीक्षक पदधारकों के राजस्व संग्रहण के कार्यों में सहयोग/सहायता हेतु 01 नियमित चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की व्यवस्था होनी चाहिए, परन्तु यह देखते हुए कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियाँ न किये जाने का सुविचारित निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है। अतः इनके लिये चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को आउट सोर्सिंग के माध्यम से इस प्रतिबन्ध के अधीन इंगेज किया जाय कि ऐसे चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के पारिश्रमिक का भुगतान राजस्व सेवा के पदधारकों द्वारा संग्रह की गई धनराशि से किया जायेगा, जिसकी अधिकतम् सीमा, संग्रह की गई धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) जिला पंचायतों में कर निर्धारण के दायित्व का निर्वहन राजस्व सेवा के अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। इन अधिकारियों द्वारा किये गये कर निर्धारण को बिना पर्याप्त वेरीफाइबिल

तथ्यों/तार्किक कारण से संशोधन न किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

2– पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित निर्णय के अनुसार वेतनमान आदि लागू करने हेतु सम्बन्धित निकाय के प्रशासकीय विभाग व वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग–1) में की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–251/दस–54(एम)/2008टी0 सी0, दिनांक 07 फरवरी, 2009 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–10 तथा 11 में व्यय–भार वहन करने के सम्बन्ध में उपलब्ध व्यवस्था जो निम्नवत् है, के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाय :—

उप प्रस्तर–10 :—

नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियों/अधिकारियों अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय/संस्था का ही होगा।

उप प्रस्तर–11 :—

राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों को संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अपने स्रोतों से हुई आय की धनराशि से सम्बन्धित निकाय अपनी अन्य विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने स्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

3– कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने हेतु पूर्व प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार परीक्षण करते हुए अपेक्षित प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–468(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।